रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 790]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 790]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/ CHAITRA 11, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का.आ. 1277(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित हैं और दोनों संरक्षित क्षेत्र एक साथ मिलकर , जो 812.581 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए है, संजय डुबरी बाघ (जिसे इसमें इसके पश्चात बाघ संरक्षित कहा गया है)के मूल क्षेत्र को गठित करते है;

और संजय डुबरी बाघ संरक्षित 1674.512 वर्ग कि.मी. मे फैला है जिसमें से 812.581 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र बाघ संरक्षित का मूल क्षेत्र है। और 861.931 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र बफर क्षेत्र है बाघ संरक्षित का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दोनों मूल और बफर क्षेत्र समाविष्ट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्य जीव अभयारण्य में सूखे से आर्द्र पर्णपाती प्रकार के प्रायद्वीय वनस्पति पाये जाते हैं जो की खुले से अधिक घने वन क्षेत्रो के लिए जाने जाते है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्य जीव अभयारण्य बांधवगढ़ – संजय – गुरू – धासीदास –पलामू भू में दृश्य – भू का भाग है जो चार संभावित बाघ मेटा जनसंख्या दृश्य – से एक है ।

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य बाघ के लिए बांधवगढ बाघ आरक्षिती के साथ गलियारे की संयोजकता प्रदान करता है और जंगली हाथियों के लिए पलामू बाघ आरक्षित के साथ गलियारे की संयोजकता प्रदान करता है;

और,विभिन्न बारहमासी नदियां अर्थात गोपद , बनस , मवाई, महान कोदमर ,उमरारी संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य से होते हुए बहती है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य में जीवजंतु की व्यापक विविधता है जिसमें बाघ, तेंदुआ, रीछ, चीतल, सांभर, चौसिंगा मृग, चिंकारा, मुंजक और बनैला सूअर सम्मिलित है;

और, इस क्षेत्र का संरक्षण और संरक्षा आवश्यक है, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो दोनो मिलकर बाघ संरक्षिती के मूल क्षेत्र को गठित करते है, के चारो ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, तथा उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो की मिलकर बाघ संरक्षिती के मूल क्षेत्र को गठित करते है , की सीमा से 2 किलोमीटर तक की विस्तारित क्षेत्र को संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.**पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1)** पारिस्थितिक संवेदी जोन संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो की मिलकर बाघ संरक्षिती के मूल क्षेत्र को गठित करते है, से 2 किलोमीटर तक होगा।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन 1053.243 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसके अंतर्गत संजय डुबरी बाघ संरक्षिती का 861.931 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र जिसमें की छत्तीसगढ़ राज्य का 32.759 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित है।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में मध्य प्रदेश के तीन जिलो अर्थात शहडोल, सीधी और सिंगरौली के 98 ग्रामों और छत्तीसगढ़ के महेन्द्रगढ़ जिले के 3 ग्राम सम्मिलित है।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और इसके अक्षांश और देशांतर **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 16, 22, 30, और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना।
(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
(iv) वर्षा जल संचयन, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे ;

परंतु विद्यमान स्थापनों में विस्तारण को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें

परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होंगी।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान उद्योगों को विधि के अनुसार जारी रहने दिया जा सकेगा: परंतु विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवधि की समाप्ति पर नहीं किया जाएगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे; परंतु विद्यमान स्थापनों में विस्तारण को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा : परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का

		नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे। (ग) परन्तु जहाँ, पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। पहाड़ी ढलानों जो कि 1 से 10 मीटर पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा। आंचलिक महायोजना के अनुरूप संन्निर्माण क्रियाकलाप किया जाएगा ।
(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना में दिए गए विवरण का पालन किया जाएगा
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	1. लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। 2. वन्यजीव के निर्बाध संचलन को अनुज्ञात करने वाली रीति में किया जाएगा। 3. किन्ही स्थापनों की किन्ही विद्यमान बाडों, जो उपरोक्त शर्त का अनुपालन नहीं करती है, को अंतिम अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हटा दिया जाएगा या उपांतरित किया जाएगा।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिस्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	ट्रेन्चिंग ग्राउंड।	किसी नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना नही की जाएगी तथापि, पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउड को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रचालित किया जाएगा कि खुले स्थल पर आग लगाना अनुज्ञात नही होगा।
(27)	डेयरी कार्यकलाप और पशुपालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(31)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. मानीटरी समिति-

केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, रीवा - अध्यक्ष ;

(ii) प्रभागीय आयुक्त, शहडोल -सदस्य ;

(iii) जिला कलेक्टर, सिंगरौली - सदस्य;

(iv) जिला कलेक्टर, शहडोल - सदस्य;

(v) जिला कलेक्टर, शीढ़ी - सदस्य;

(vi) अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शहडोल – सदस्य ;

(vii) अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शहडोल – सदस्य ;

(viii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली- सदस्य ;

(ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल - सदस्य ;

(x) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी- सदस्य ;

(xi) नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(xii) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य;

(xiii) राज्य के किसी विख्यात संस्थान या विश्वविद्यालय से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला प्रतिनिधि – सदस्य;

(xiv) राज्य के किसी विख्यात संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला विशेषज्ञ – सदस्य;

(xv) क्षेत्र निदेशक, संजय डुबरी बाघ आरक्षिती– सदस्य-सचिव ।

(2) केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र की प्रभावी मानीटर समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

(i) जिला कलेक्टर, महेन्द्रगढ़ - सदस्य;

(ii) नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यकरण करने वाले किसी गैर सरकार संगठन का प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iv) राज्य के किसी विख्यात संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(v) संबद्ध वन उपसंरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी– सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश का निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/122/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

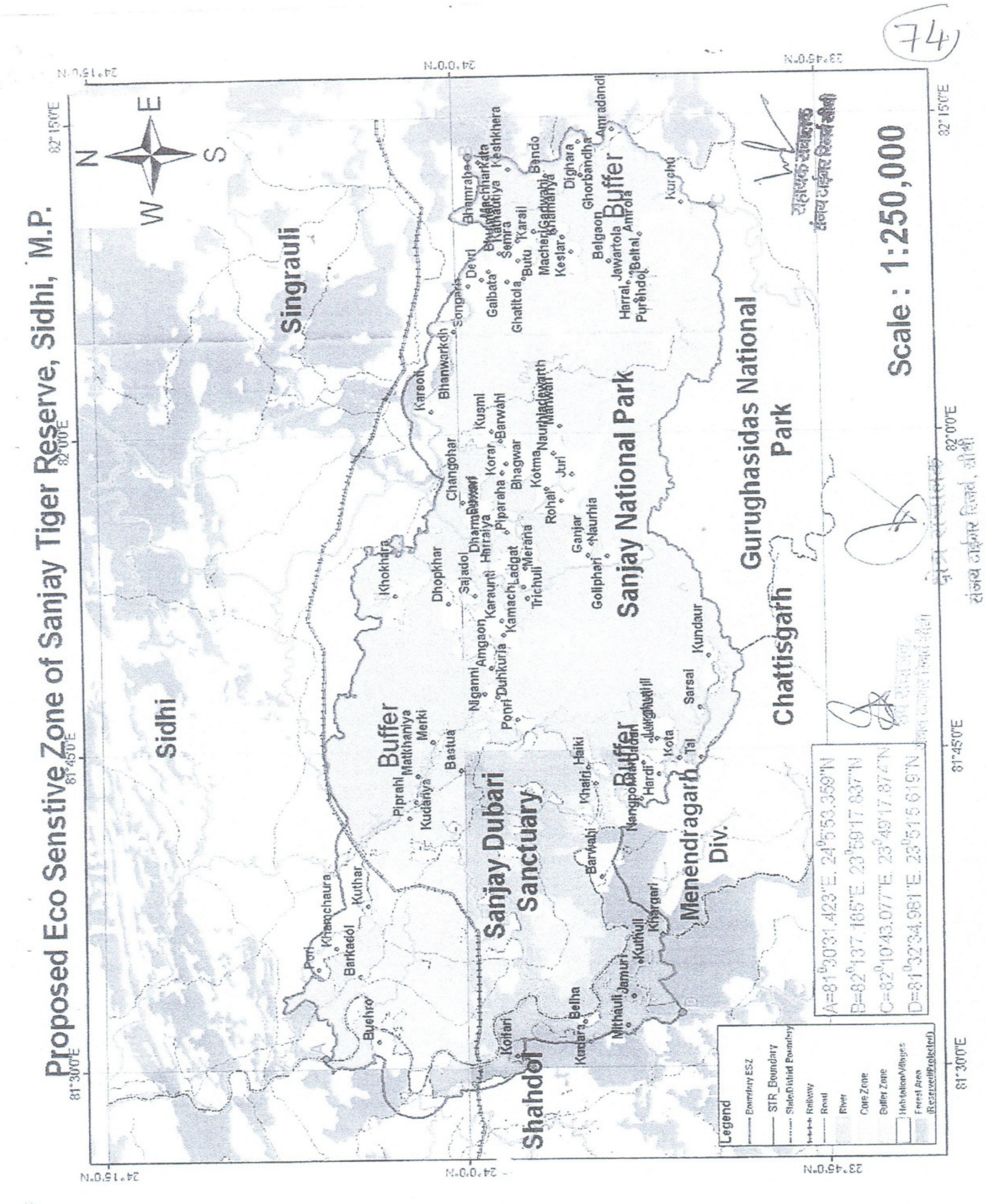

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ निर्देशांक

संजय बाघ आरक्षित, सिद्धि के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम. सं .	राज्य	जिला	राजस्व	अक्षांश(डी डी)	देशांतर (डी डी)	विस्तार (हेक्टेयर)
1	मध्य प्रदेश	शाहदोल	बुचरो	24.06114528	81.52151722	1794.853
2	मध्य प्रदेश	शाहदोल	कुदारा	23.91503278	81.52030056	693.179
3	मध्य प्रदेश	शाहदोल	काइलरी	23.96599944	81.50953639	1938.728
4	मध्य प्रदेश	शाहदोल	जमुरी	23.88525167	81.55605833	1915.454
5	मध्य प्रदेश	शाहदोल	बेलहा	23.91849667	81.53654583	493.147
6	मध्य प्रदेश	शाहदोल	मीथउली	23.88924972	81.53362889	289.247
7	मध्य प्रदेश	शाहदोल	कुथुली	2388027861	81.5836125	843.066
8	मध्य प्रदेश	शाहदोल	खरगरी	23.86470222	81.60479889	1579.521
9	मध्य्र प्रदेश	शाहदोल	धोनहा	23.986195	81.48775389	1299.505
10	मध्य प्रदेश	शाहदोल	पालाहा	23.91116083	81.52471694	71.81
11	मध्य प्रदेश	शाहदोल	पीपरी	23.87020083	81.54230167	180.02
12	मध्य प्रदेश	शाहदोल	बनसा	24.1077325	81.50593056	298.25
13	मध्य प्रदेश	शाहदोल	खादहा	23.98067361	81.49064639	507.46
14	मध्य प्रदेश	शाहदोल	सरबरी	24.04489333	81.4979525	341.96
शाहदोल जिला के कुल						12246.197
15	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बरकादोल	24..07353472	81.57295167	249.23
16	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बसतुआ	24.00224861	81.73506556	1185.39
17	मध्य प्रदेश	सिद्धि	गोलीफरी	23.89886111	81.90297222	201.47
18	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कुदरिया	24.033250583	81.70979139	330.09
19	मध्य प्रदेश	सिद्धि	पीपराही	24.03804111	81.69738222	735.06
20	मध्य प्रदेश	सिद्धि	पोनरी	23.96293028	81.77484833	1133.9
संजय बाघ आरक्षित के कुल						**3835.14**
21	मध्य प्रदेश	सिद्धि	अमगॉव	23.98001278	81.81507694	1170.41
22	मध्य प्रदेश	सिद्धि	अराडंडी	23.88909472	82.23856444	34.19
23	मध्य प्रदेश	सिद्धि	अनरोला	23.8721775	82.15683694	445.81
24	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बखही	23.97058417	81.99451361	401.7
25	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बेलगॉव	23.89326444	82.13598806	129.02
26	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बैनल	23.86788861	82.12681472	186.45
27	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बेनदो	23.93543889	82.20335972	279.47
28	मध्य प्रदेश	सिद्धि	भागवर	23.96700167	81.97676056	305.71
29	मध्य प्रदेश	सिद्धि	आमराही	23.98142556	82.21455861	28.47
30	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मनवरखी	24.00096389	82.08172139	274.98
31	मध्य प्रदेश	सिद्धि	भुइमर	23.96820139	82.14283833	296.77
32	मध्य प्रदेश	सिद्धि	बटु	23.9521775	82.12300222	155.53
33	मध्य प्रदेश	सिद्धि	छनगोहर	23.99762806	81.94620389	484
34	मध्य प्रदेश	सिद्धि	दादरी	23.87652583	81.7395025	365.37
35	मध्य प्रदेश	सिद्धि	देवरी	23.98053194	82.12240667	334.47

36	मध्य प्रदेश	सिद्धि	धर्मादवरी	23.98290861	81.90544861	261.55
37	मध्य प्रदेश	सिद्धि	धूपखर	24.00870861	81.8666625	802.89
38	मध्य प्रदेश	सिद्धि	दोगहारा	23.91131361	82.20341917	121.95
39	मध्य प्रदेश	सिद्धि	दूहकुरिया	23.97576639	81.79257778	181.57
40	मध्य प्रदेश	सिद्धि	दूवरी	23.98738222	81.935005	661.71
41	मध्य प्रदेश	सिद्धि	गडवही	23.92972028	82.1595175	109.74
42	मध्य प्रदेश	सिद्धि	गड़बाटा	23.97576639	82.12901861	350.74
43	मध्य प्रदेश	सिद्धि	गनजर	23.91202861	81.90361278	407.97
44	मध्य प्रदेश	सिद्धि	घाटीटोआ	23.96373361	82.12050028	487.07
45	मध्य प्रदेश	सिद्धि	घोरबंध	23.912505	82.22956972	352.97
46	मध्य प्रदेश	सिद्धि	हाइकी	23.91390833	81.73669833	222.66
47	मध्य प्रदेश	सिद्धि	हरदी	23.86622056	81.73098417	502.8
48	मध्य प्रदेश	सिद्धि	हरराई	23.87557278	82.10422383	256.8
49	मध्य प्रदेश	सिद्धि	हरराईया	2398899056	81.92303194	199.52
50	मध्य प्रदेश	सिद्धि	जवरटोला	23.88057667	82.118475	125.51
51	मध्य प्रदेश	सिद्धि	जुरी	23.92209556	81.9677675	1124.38
52	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कमच्च	23.97124778	81.8414825	372.56
53	मध्य प्रदेश	सिद्धि	करइल	23.9556325	82.15230972	143.73
54	मध्य प्रदेश	सिद्धि	करौनाटी	23.97266139	81.85252639	673.6
55	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सरसोती	24.01776194	82.01816222	308.24
56	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कथाउतिया	23.96230417	82.15028444	106.97
57	मध्य प्रदेश	सिद्धि	केसखरा	23.96111278	82.2084825	27.96
58	मध्य प्रदेश	सिद्धि	केसलर	23.91899806	82.1436725	366.22
59	मध्य प्रदेश	सिद्धि	खाइरी	23.9094075	81.723955	300.08
60	मध्य प्रदेश	सिद्धि	खामड़िया	23.92513361	82.1546925	86.16
61	मध्य प्रदेश	सिद्धि	खमचौरा	24.08943722	82.1546925	376.67
62	मध्य प्रदेश	सिद्धि	खोखारा	24.04509028	81.87283472	474.31
63	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कोरर	23.97004806	81.96913778	693.72
64	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कोला	23.85174556	81.74325528	443.45
65	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कोटमा	23.93948944	81.95603278	340.15
66	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कुनदोर	23.83059889	81.82379139	638.98
67	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कुरचु	23.84269111	82.18137917	484.16
68	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कुसमी	23.97671944	82.00190028	612.19
69	मध्य प्रदेश	सिद्धि	कुथर	24.06795167	816293825	670.02
70	मध्य प्रदेश	सिद्धि	लदगट	23.95688333	81.87877278	145.55
71	मध्य प्रदेश	सिद्धि	लूरघुटी 1	23.87122444	81.75701556	474.49
72	मध्य प्रदेश	सिद्धि	लूरघुटी 2	23.8672	81.758765	388.7
73	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मचेरी	23.94449306	81.15975583	58.71
74	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मच्चारकाटा	23.96957139	82.16922722	1507
75	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मझौली	24.08972806	81.62238444	314.465
76	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मनवरी	23.92989889	82.00547417	78.02
77	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मटखनिया	24.03199889	81.73068639	1338
78	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मेरारिया	23.95593028	81.89363472	1104.37
79	मध्य प्रदेश	सिद्धि	मेरकी	24.02124889	81.75791556	135.16

80	मध्य प्रदेश	सिद्धि	ननगपोखर	23.87831306	81.71096917	110.39
81	मध्य प्रदेश	सिद्धि	नौरहिया	23.90944672	81.91290528	288.84
82	मध्य प्रदेश	सिद्धि	नौरहियादेवरथ	23.93448583	81.98450639	374.34
83	मध्य प्रदेश	सिद्धि	नीगन्नी	2398491667	81.79493111	122.29
84	मध्य प्रदेश	सिद्धि	पीपराहा	23.96760556	81.92243611	735.06
85	मध्य प्रदेश	सिद्धि	पोरी	24.10202722	81.57896917	381.08
86	मध्य प्रदेश	सिद्धि	पुरहदोल	23.87807472	82.12645722	187
87	मध्य प्रदेश	सिद्धि	रोहल	23.92960111	81.94656139	456.92
88	मध्य प्रदेश	सिद्धि	साजादोल	23.99050833	81.87231694	242.06
89	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सरायेहा	24.08342917	81.65758083	397.51
90	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सरसारी	23.83685361	81.78316583	48.06
91	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सेमरा	23.95604944	82.13694111	286.59
92	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सोनगढ़	23.99040639	82.11777111	387.55
93	मध्य प्रदेश	सिद्धि	तल	23.83697278	81.74397	234.31
94	मध्य प्रदेश	सिद्धि	त्रिचूली	23.95443972	81.87023694	88.39
सिद्धि जिला से कुल						**26709.905**
95	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	भरसेरा	24.01014278	82.06061778	650
96	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	झारा	23.99975	82.04935194	500
97	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	पारासी	24.03537222	82.03630611	120
98	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	बनसरी	24.01913556	820026675	810
सिंगरौली सिद्धि जिला से कुल						**2080**
मध्य प्रदेश के कुल						**44871.242**
99	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	बरवही	23.90590639	81.65047917	257.78
100	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	मरीसरावि	23.8406425	81.67514167	361.79
101	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	बरच्चा	23.86398889	81.64316556	77.23
छत्तीसगढ़ के कुल						**696.77**
कुल (हेक्टेयर)						**45568.012**
पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)						**455.68012**

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

S.O. 1277(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sanjay National Park and Sanjay Dubari Wildlife Sanctuary are located in Madhya Pradesh and both the Protected Areas together constitute the core area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve (hereinafter referred to as Tiger Reserve) which is spread over 812.581 square kilometres;

AND WHEREAS, the Sanjay Dubri Tiger Reserve is spread over an of 1674.512 square kilometres of which 812.581 square kilometres is core area of the Tiger Reserve and 861.931 square kilometre is the buffer area and that the Tiger Reserve including both Core and Buffer Area is spread over the states of Madhya Pradesh an Chattisgarh;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary has dry to moist deciduous peninsular type of vegetation which are characterized by open to very dense forest areas;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary form part of Bandhavgarh-Sanjay-Guru Ghasidas-Palamau landscape which is one of the four potential Tiger meta-population landscape;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary provides corridor connectivity with Bandhavgarh Tiger Reserve for Tigers and corridor connectivity for wild elephants of Palamu Tiger Reserve;

AND WHEREAS, various perennial rivers, viz., Gopad, Banas, Mawai, Mahan, Kodmar, Umrari flow through the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, wide variety of fauna is present in Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary which inter alia include Tiger, Panther, Sloth bear, Cheetal, Sambhar, Four Hhorned Antelopes, Chinkara, Barking Deer and Wild Pig;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Tiger Reserve, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 2 kilometers from the boundary of Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve, as the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), which is spread over the states of Madhya Pradesh and Chattisgarh, details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-Sensitive Zone is up to 2 kilometers from the boundary of Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the core area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1053.243 square kilometres which includes 861.931 square kilometre buffer area of Sanjay Dubri Tiger Reserve and includes 32.759 square kilometre area of Chattisgarh State

(3) The Eco-sensitive Zone includes 98 villages in three Districts viz. Shahdol, Sidhi and Singrauli of Madhya Pradesh and 3 villages of Manendragarh District of Chattisgarh.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure I**

(5) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department, for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

(10) The Government of Madhya Pradesh shall prepare Zonal Master Plan for the area of Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh and the Government of Chhattisgarh shall prepare Zonal Master Plan for the area of Eco-sensitive Zone falling within the State of Chhattisgarh.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Madhya Pradesh for the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh and the Tourism Master Plan for the area of Eco-sensitive Zone falling within the State of Chattisgarh shall be prepared by the Government of Chattisgarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect in the Eco-sensitive except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
	Regulated Activities	
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan: However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent

		of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan. (d) No construction shall be allowed on hills with slopes more than 1 in 10 and upto 100 metre from the banks of any river and natural nallah. (e) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	(i) Regulated under applicable laws. (ii) shall be done in a manner to allow free movement of wildlife. (iii) Existing fencing of establishments not compliant with the above condition shall be removed or modified to meet the requirement within six months from the date of final notification

16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Trenching Ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
27.	Dairy activities and cattle rearing.	Regulated as per applicable laws
28.	Use of polythene bags.	
Promoted Activity		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh, which shall comprise of the following namely:-

(i) Divisional Commissioner, Rewa — Chairman;

(ii) Divsional Commissioner, Shahdol — Member;

(iii) District Collector, Singrauli — Member;

(iv) District Collector, Shahdol — Member;

(v) District Collector, Sidhi — Member;

(vi) Superintending Engineer Public Works Department, Shahdol — Member;

(vii) Superintending Engineer Public Health Department, Shahdol — Member;

(viii) Chief Executive Officer of District Panchayat, Singrauli — Member;

(ix) Chief Executive Officer of District Panchayat, Shahdol — Member;

(x) Chief Executive Officer of District Panchayat, Sidhi — Member;

(xi) Representative of the Town and Country Planning Department — Member;

(xii) Representative of the Pollution Control Board — Member;

(xiii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case — Member;

(xiv) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case – Member;

(xv) Field Director, Sanjay Dubri Tiger Reserve, Member-Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Chattisgarh, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Manendragarh Chairman;

(ii) Representative of the Town and Country Planning Department Member;

(iii) Representative of the Pollution Control Board Member;

(iv) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Chattisgarh for a term of one year in each case – Member;

(v) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or University in the State to be nominated by the Government of Chattisgarh for a term of one year in each case – Member;

(vi) Concerned Deputy Conservator of Forests or Divisional Forest Officer - Member-Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/122/2015-ESZ-RE]

Dr. T. Chandini, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

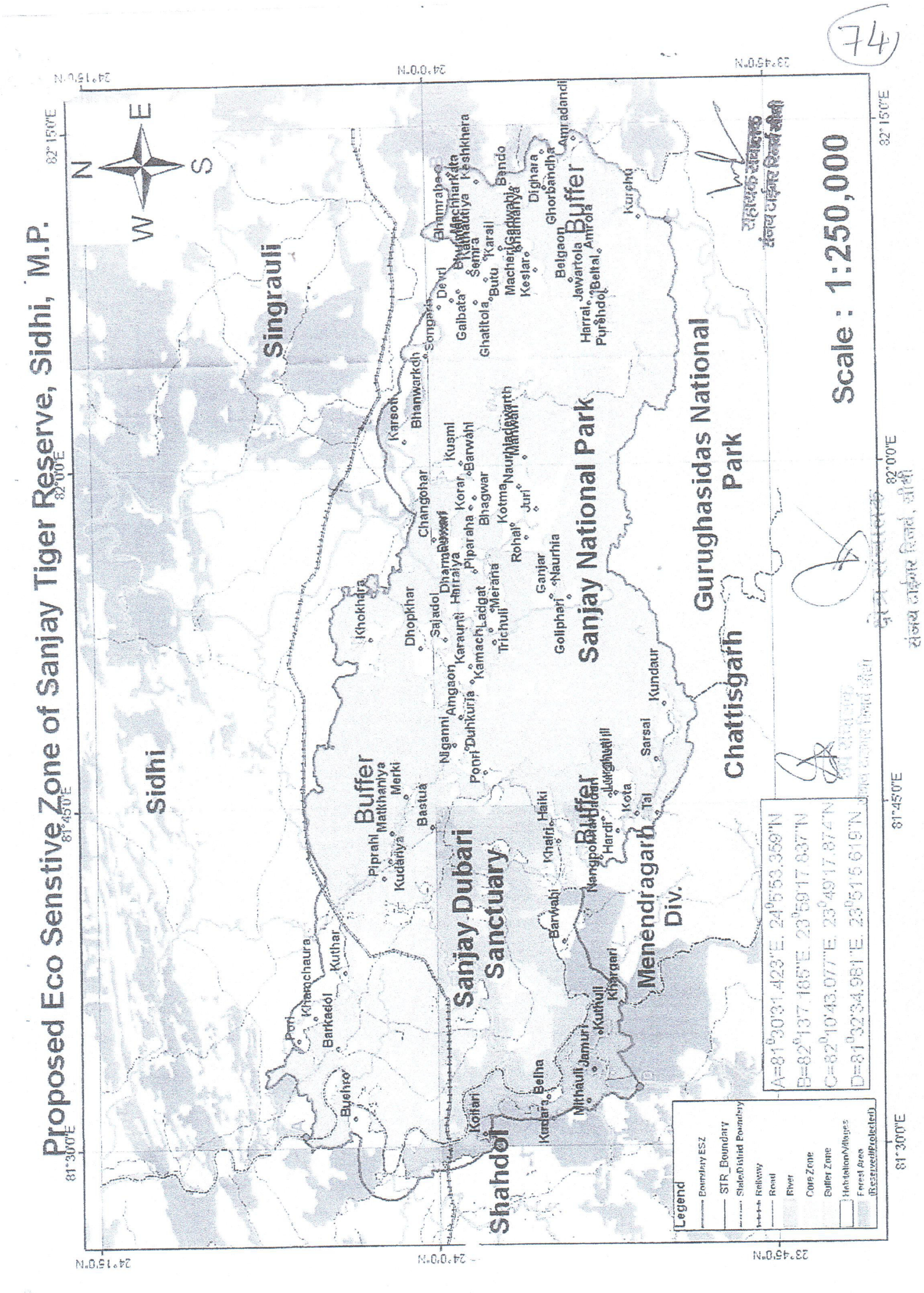

Annexure II

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

S.No.	State	District	Revenue	Latitude (DD)	Longitude (DD)	Area (ha)
1	MP	Shahdol	Buchro	24.06114528	81.52151722	1794.853
2	MP	Shahdol	Kudara	23.91503278	81.52030056	693.179
3	MP	Shahdol	Koilari	23.96599944	81.50953639	1938.728
4	MP	Shahdol	Jamuri	23.88525167	81.55605833	1915.454
5	MP	Shahdol	Belha	23.91849667	81.53654583	493.147
6	MP	Shahdol	Mithauli	23.88924972	81.53362889	289.247
7	MP	Shahdol	Kuthuli	2388027861	81.5836125	843.066
8	MP	Shahdol	Khargari	23.86470222	81.60479889	1579.521
9	MP	Shahdol	Dhonda	23.986195	81.48775389	1299.505
10	MP	Shahdol	Palsha	23.91116083	81.52471694	71.81
11	MP	Shahdol	Pipari	23.87020083	81.54230167	180.02
12	MP	Shahdol	Bansa	24.1077325	81.50593056	298.25
13	MP	Shahdol	Khadda	23.98067361	81.49064639	507.46
14	MP	Shahdol	Sarwahi	24.04489333	81.4979525	341.96
Total of Shahdol Distt.				**12246.197**		
15	MP	Sidhi	Barkadol	24..07353472	81.57295167	249.23
16	MP	Sidhi	Sastua	24.00224861	81.73506556	1185.39
17	MP	Sidhi	Golipharі	23.89886111	81.90297222	201.47
18	MP	Sidhi	Kudariya	24.033250583	81.70979139	330.09
19	MP	Sidhi	Piprahi	24.03804111	81.69738222	735.06
20	MP	Sidhi	Ponri	23.96293028	81.77484833	1133.9
			Total of Sanjay Tiger Reserve		**3835.14**	
21	MP	Sidhi	Amgaon	23.98001278	81.81507694	1170.41
22	MP	Sidhi	Amradandi	23.88909472	82.23856444	34.19
23	MP	Sidhi	Amrola	23.8721775	82.15683694	445.81
24	MP	Sidhi	Barwahi	23.97058417	81.99451361	401.7
25	MP	Sidhi	Belgaon	23.89326444	82.13598806	129.02
26	MP	Sidhi	Beltal	23.86788861	82.12681472	186.45
27	MP	Sidhi	Bendo	23.93543889	82.20335972	279.47
28	MP	Sidhi	Bhagwar	23.96700167	81.97676056	305.71
29	MP	Sidhi	Bhamraha	23.98142556	82.21455861	28.47
30	MP	Sidhi	Bhanwarkoh	24.00096389	82.08172139	274.98
31	MP	Sidhi	Bhuimar	23.96820139	82.14283833	296.77
32	MP	Sidhi	Butu	23.9521775	82.12300222	155.53
33	MP	Sidhi	Changohar	23.99762806	81.94620389	484
34	MP	Sidhi	Dadari	23.87652583	81.7395025	365.37
35	MP	Sidhi	Devri	23.98053194	82.12240667	334.47
36	MP	Sidhi	Dhamadwari	23.98290861	81.90544861	261.55
37	MP	Sidhi	Dhopkhar	24.00870861	81.8666625	802.89
38	MP	Sidhi	Dighara	23.91131361	82.20341917	121.95
39	MP	Sidhi	Duhkuria	23.97576639	81.79257778	181.57
40	MP	Sidhi	Duwari	23.98738222	81.935005	661.71
41	MP	Sidhi	Gadwagu	23.92972028	82.1595175	109.74
42	MP	Sidhi	Gaibata	23.97576639	82.12901861	350.74
43	MP	Sidhi	Ganjar	23.91202861	81.90361278	407.97
44	MP	Sidhi	Ghatitola	23.96373361	82.12050028	487.07
45	MP	Sidhi	Ghorbandha	23.912505	82.22956972	352.97
46	MP	Sidhi	Haiki	23.91390833	81.73669833	222.66
47	MP	Sidhi	Hardi	23.86622056	81.73098417	502.8
48	MP	Sidhi	Harrai	23.87557278	82.10422383	256.8
49	MP	Sidhi	Harraiya	2398899056	81.92303194	199.52
50	MP	Sidhi	Jawartole	23.88057667	82.118475	125.51

51	MP	Sidhi	Juri	23.92209556	81.9677675	1124.38
52	MP	Sidhi	Kamach	23.97124778	81.8414825	372.56
53	MP	Sidhi	Karail	23.9556325	82.15230972	143.73
54	MP	Sidhi	Karaunti	23.97266139	81.85252639	673.6
55	MP	Sidhi	Karsoti	24.01776194	82.01816222	308.24
56	MP	Sidhi	Kathauliya	23.96230417	82.15028444	106.97
57	MP	Sidhi	Keshkhere	23.96111278	82.2084825	27.96
58	MP	Sidhi	Keslar	23.91899806	82.1436725	366.22
59	MP	Sidhi	Khairi	23.9094075	81.723955	300.08
60	MP	Sidhi	Khamariya	23.92513361	82.1546925	86.16
61	MP	Sidhi	Khamchaura	24.08943722	82.1546925	376.67
62	MP	Sidhi	Khokhara	24.04509028	81.87283472	474.31
63	MP	Sidhi	Korar	23.97004806	81.96913778	693.72
64	MP	Sidhi	Kola	23.85174556	81.74325528	443.45
65	MP	Sidhi	Kotma	23.93948944	81.95603278	340.15
66	MP	Sidhi	Kundaur	23.83059889	81.82379139	638.98
67	MP	Sidhi	Kurchu	23.84269111	82.18137917	484.16
68	MP	Sidhi	Kusmi	23.97671944	82.00190028	612.19
69	MP	Sidhi	Kuthar	24.06795167	816293825	670.02
70	MP	Sidhi	Ladgal	23.95688333	81.87877278	145.55
71	MP	Sidhi	Lughuti I	23.87122444	81.75701556	474.49
72	MP	Sidhi	Lughuti II	23.8672	81.758765	388.7
73	MP	Sidhi	Macheri	23.94449306	81.15975583	58.71
74	MP	Sidhi	Machharkata	23.96957139	82.16922722	1507
75	MP	Sidhi	Majhauli	24.08972806	81.62238444	314.465
76	MP	Sidhi	Manwari	23.92989889	82.00547417	78.02
77	MP	Sidhi	Matkhaniya	24.03199889	81.73068639	1338
78	MP	Sidhi	Meraria	23.95593028	81.89363472	1104.37
79	MP	Sidhi	Merki	24.02124889	81.75791556	135.16
80	MP	Sidhi	Nangpokhar	23.87831306	81.71096917	110.39
81	MP	Sidhi	Naurhia	23.90944672	81.91290528	288.84
82	MP	Sidhi	Naurhiadewarth	23.93448583	81.98450639	374.34
83	MP	Sidhi	Niganni	2398491667	81.79493111	122.29
84	MP	Sidhi	Piparaha	23.96760556	81.92243611	735.06
85	MP	Sidhi	Pori	24.10202722	81.57896917	381.08
86	MP	Sidhi	Purehdol	23.87807472	82.12645722	187
87	MP	Sidhi	Rohal	23.92960111	81.94656139	456.92
88	MP	Sidhi	Sajadol	23.99050833	81.87231694	242.06
89	MP	Sidhi	Saraiha	24.08342917	81.65758083	397.51
90	MP	Sidhi	Sarsai	23.83685361	81.78316583	48.06
91	MP	Sidhi	Semra	23.95604944	82.13694111	286.59
92	MP	Sidhi	Songarh	23.99040639	82.11777111	387.55
93	MP	Sidhi	Tal	23.83697278	81.74397	234.31
94	MP	Sidhi	Trichuli	23.95443972	81.87023694	88.39
Total of Sidhi Distt.						**26709.905**
95	MP	Singrauli	Bharsera	24.01014278	82.06061778	650
96	MP	Singrauli	Jhara	23.99975	82.04935194	500
97	MP	Singrauli	Parasi	24.03537222	82.03630611	120
98	MP	Singrauli	Banjari	24.01913556	820026675	810
Total of Singrauli Distt.						**2080**
Total of Madhya Pradesh						**44871.242**
99	Chattisgarh	Manendragarh	Barwahi	23.90590639	81.65047917	257.78
100	Chattisgarh	Manendragarh	Marisarai	23.8406425	81.67514167	361.79
101	Chattisgarh	Manendragarh	Barachha	23.86398889	81.64316556	77.23
	Total of Chattisgarh					**696.77**
	Grand Total (ha)					**45568.012**
Total Area (Sq.km.) of Eco-sensitive Zone						**455.68012**

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.